उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वि0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7

संख्या- 41 /XXVII(7)/2008

देहरादून : दिनांक 19 मई, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2016 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
मूल नियम 3 के उपनियम-10 का संशोधन।	2	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में वर्तमान नियम 3 के उपनियम (10) के पश्चात एक परन्तुक निम्नवत जोड़ दिया जायेगा, अर्थात:- "परन्तु यह कि कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्यहित में एवं कार्यों के त्वरित सम्पादनार्थ सक्षम अधिकारी (तकनीकी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी) की पूर्वानुमति से वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 369 का अनुपालन करते हुए व्यावहारिक होने की दशा में यथा आवश्यकता कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकेगा।"
मूल नियम 42 के उपनियम (1) का संशोधन।		मूल नियमावली के वर्तमान नियम 42 के उपनियम (1) के पश्चात एक परन्तुक निम्नवत जोड़ दिया जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु यह कि कार्य की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य के निष्पादन के अन्तर्गत कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुरूप कार्यहित में एवं कार्यों के त्वरित सम्पादन हेतु सक्षम अधिकारी (तकनीकी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी) की पूर्वानुमति से वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 369 का अनुपालन करते हुए व्यावहारिक होने की दशा में यथा आवश्यकता कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकेगा।"

आज्ञा से,

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव।